

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या-1221/2017/जोधपुर

मैसर्स मानक मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक कुणाल मेहता पुत्र श्री कमल जी मेहता, जाति-ओसवाल, निवासी-'आकृति' केन्द्रीय विद्यालय नंबर 1 के सामने, एयरफोर्स, रातानाडा, जोधपुर (क्रेता)

...प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप-पंजीयक (तृतीय), जोधपुर

...अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रोहित सोनी

अभिभाषक

श्री जमील जई

उप-राजकीय अभिभाषक

...प्रार्थी की ओर से

...अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.10.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) वृत्त-जोधपुर (जिसे आगे 'कलक्टर' कहा गया है) के आदेश दिनांक 26.05.2017 प्रकरण संख्या 66/2017 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उप-पंजीयक (तृतीय), जोधपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी क्रेता ने औद्योगिक प्रयोजनार्थ ग्राम कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा नंबर 384/3 में रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा यानि 7203.39 वर्गमीटर भूमि का क्रय विक्रेता श्रीमती संतोष गुलेच्छा पत्नी श्री नरेन्द्र गुलेच्छा से जरिये विक्रय विलेख के किया जिसे उप-पंजीयक (तृतीय), जोधपुर के यहां क्रमांक 5819 पर दिनांक 06.05.2010 को पंजीबद्ध किया गया व विक्रय-विलेख की मालियत 36,37,678/- रुपये निर्धारित की गई। इस विक्रय विलेख पर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 (जिसे आगे 'RIPS-2003' कहा जायेगा) के तहत 50 प्रतिशत की स्टाम्प शुल्क में छूट देय थी तथा छूट को प्राप्त करते हुए स्टाम्प शुल्क अदा किया गया था। इसके पश्चात उक्त दस्तावेज के संबंध में रेफरेन्स न्यायालय कलैक्टर (मुद्रांक) वृत्त, जोधपुर को इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि नियत समय में RIPS की शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण छूट की राशि वसूलनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स को यथावत स्वीकार

२०

लगातार.....2

करते हुए कमी मुद्रांक रुपये 90,945/- एवं 18 प्रतिशत ब्याज रुपये 1,15,960/- व निष्पादन की दिनांक से 12 प्रतिशत शास्ति रुपये 77,310/- व कुल रुपये 2,84,215/- वसूल करने के आदेश प्रदान किये गये तथा निर्णय के दिनांक से सम्पूर्ण राशि जमा होने तक की तिथि के लिए दिनांक 09.03.2015 को हुए संशोधन के अनुसार 12 प्रतिशत साधारण ब्याज भी वसूल करने का आदेश दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थी क्रेता की ओर से प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी एवं उप-राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) वृत्त, जोधपुर द्वारा दिनांक 26.05.2017 को पारित निर्णय विधिविरुद्ध व नियमों के विपरीत तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ पारित किया हुआ होने से काबिल-ए-निरस्त है। इन्होंने तर्क दिया कि RIPS-2003 के अन्तर्गत देय लाभ कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा वापिस नहीं लिया जा सकता क्योंकि RIPS-2003 के क्लॉज 6 के अनुसार जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी या राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी को ही अपने निर्णय को रिब्यू या संशोधित करने का अधिकार है। कलक्टर (मुद्रांक) का निर्णय अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इन्होंने यह भी कथन किया कि RIPS-2003 के क्लॉज 13 के अनुसार राज्य सरकार अपने आदेश को रिब्यू या संशोधन 5 वर्ष के पश्चात् नहीं कर सकती। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2006(1) डी.एन.जे. (राज) 452 में यह अभिनिर्धारित किया है कि 1 वर्ष के पश्चात् रेफरेन्स की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकती। इन्होंने यह भी कथन किया कि दस्तावेज के पंजीयन के समय जिला उद्योग केन्द्र से पूर्ण नियमों के अनुसार स्टाम्प शुल्क में छूट प्राप्त करते हुए दस्तावेज का पंजीयन करवाया गया, जिसे पूर्ण रूप से जांच करने के पश्चात् ही उप-पंजीयक (तृतीय), जोधपुर के द्वारा क्रमांक 5819 दिनांक 06.05.2010 पर पंजीबद्ध किया गया, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई। उक्त दस्तावेज को पंजीयन करवाने के पश्चात् उक्त नियमों एवं शर्तों की पूर्ण रूप से पालना की गई, जिन नियमों व शर्तों के आधार पर प्रार्थी ने छूट प्राप्त की थी, जिस वजह से भी यह स्टाम्प शुल्क वसूलनीय नहीं है, जिस कारण उक्त निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। राजस्थान सरकार के कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर के पत्र क्रमांक 2017/323 दिनांक 20.02.2017 के जरिये भी यह बताया गया कि क्रेता मैसर्स माणक मोटर्स प्रा० लि० जोधपुर द्वारा खसरा नंबर 384/3 ग्राम कांकाणी तहसील लूणी पर वर्ष 2012 में उत्पादन आरम्भ कर दिया है, जिसकी सूचना भी पत्र दिनांक 21.09.15

के द्वारा आयुक्त उद्योग, जयपुर को प्रेषित की जा चुकी है, जिस पत्र क्रमांक 2017/323 के अवलोकन मात्र से भी यह स्पष्ट है कि जिन शर्तों व नियमों के आधार स्टाम्प शुल्क में छूट प्राप्त की गई थी, उनकी पूर्ण रूप से पालना की गई है। जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर से जिन नियमों व शर्तों के अनुसार दस्तावेज को पंजीयन करवाते समय 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क में छूट प्राप्त की गई थी, उन सभी नियमों व शर्तों की पालना पूर्ण रूप से समय पर की गई है, जो कि स्वयं कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र के पत्र से पूर्ण प्रमाणित है। उसके पश्चात भी उक्त छूट प्राप्त स्टाम्प शुल्क की वसूली किया जाना पूर्णतया गलत एवं अवैधानिक है। पी.एम.जे. एण्ड एसोसियेट्स की ऑडिट रिपोर्ट में कम्पनी का पता 304, केसरी अपार्टमेंट, मोहनपुरा, सोजती गेट के पास, जोधपुर अंकित होने के आधार पर यह मानना कि कम्पनी ने उक्त ग्राम कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा नंबर 384/3 के रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा भूमि जिसका पंजीयन करवाया गया था, उस पर किसी प्रकार का उत्पादन आरम्भ नहीं किया गया है, विधिसम्मत एवं तथ्यों के अनुरूप नहीं है। केवल मात्र ऑडिट रिपोर्ट में अलग कार्यालय पता अंकित होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि प्रार्थी अपने पक्ष को शत प्रतिशत साक्ष्य से साबित नहीं कर पाया है। इन्होंने कलक्टर (मुद्रांक) का निर्णय अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण इसी स्तर पर प्रकरण का निस्तारण करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने हेतु निवेदन किया। इन्होंने अपने समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वार निगरानी सं 1619/2015/जोधपुर मै. कैरियर पाईन्ट इन्फ्रा लि. बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2017, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 3234/1998 Commissioner, Commercial Taxes, Rajasthan Jaipur Vs Rajasthan Taxation Tribunal Tax Up Date Vol. 38 part 4 page 131 में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2013 व 2006(1) डी.एन.जे. (राज.) 452 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रश्नगत दस्तावेज पर RIPS की छूट प्राप्त कर दस्तावेज पंजीयन कराया है परन्तु नियत समय में RIPS की शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्राप्त छूट की राशि वसूलनीय होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। छूट लेने के पश्चात् यदि वर्णित किसी शर्त का उल्लंघन होता है तो सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत प्रशासनिक विभाग की इकाई कार्यवाही कर सकती है। निगरानीकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्यों से यह प्रमाणित नहीं किया है कि उसके द्वारा शर्तों की पालना की जा रही है। इन्होंने निगरानी इसी स्तर पर खारिज करने हेतु निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अध्ययन किया व बहस पर मनन किया। इस पीठ की विनम्र राय में निगरानी में मुख्य रूप से विधिक बिन्दू होने के कारण प्रकरण इस स्तर पर निस्तारण योग्य है, अतः प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित किया जा रहा है। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

7. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से यह तो ज्ञात हो रहा है कि रेफरेन्स RIPS-2003 की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर प्रस्तुत किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कहीं यह उल्लेख नहीं किया है कि RIPS-2003 की किन शर्तों का पालन प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है। शर्तों के उल्लंघन के संबंध में किसी साक्ष्य या आधार का भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में उल्लेख नहीं है। इस प्रकार निर्णय में कारण, विवेचना एवं विश्लेषण का अभाव है जिससे निर्णय Non Speaking एवं Non Reasoned है तथा ऐसा निर्णय विधिसम्मत नहीं होने के कारण यथावत नहीं रखा जा सकता।

8. विचाराधीन प्रकरण में मुख्य बिन्दु निगरानीधीन आदेश के अधिकार क्षेत्र के संबंध में है, अतः सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि कलक्टर (मुद्रांक) को RIPS-2003 के अन्तर्गत देय लाभ वापिस लेने की शक्तियां हैं या नहीं। इस सम्बन्ध में RIPS - 2003 के पैरा संख्या 9, 12 व 13 का अवलोकन किया जाता है जो निम्न प्रकार है:-

9. PROCEDURES :

(A) CLAIM OF EXEMPTIONS OF STAMP DUTY AND CONVERSION CHARGES :

(i) An investor intending to make new investment or intending to make new investment for Expansion/Modernization/Diversification, being entitled to claim exemption of stamp duty and/or conversion charges under this Section, shall submit a duly completed application in the prescribed Form, to the Member Secretary of the appropriate Screening Committee (SLSC/DLSC). Such application shall be accompanied by a project report duly certified by a chartered accountant.

(ii) The Member Secretary of the appropriate Screening Committee, shall register the application and issue Provisional Entitlement Certificate in prescribed format to the applicant investor immediately with a copy to the concerned department/authority. Thereupon, the stamp duty and/ or conversion charges/fee would be exempt to the extent of fifty percent of the duty leviable or the fee chargeable.

12- REVIEWS AND APPEAL :

The State Level Screening Committee and District Level Screening Committee, described under clause 6 of this Scheme shall also be empowered to review their decision. The State Level Screening Committee shall hear and decide appeals against the orders of District Level Screening Committee. Provided that the aggrieved party has filed review application or the appeal within the period of 60 days from the date of communication of the decision of the committee.

13- REVISION BY THE STATE GOVERNMENT :

(a) The State Government in Finance Department may suo motu or otherwise revise an order passed by any Screening Committee wherever it is found to be erroneous and prejudicial to the interest of the State revenue, after affording an opportunity of being heard to the beneficiary industrial unit.

(b) No order under the sub-clause (a) shall be passed by the State Government after the expiry of a period five years after the date by which the benefits under this scheme are fully availed of.

RIPS - 2003 के पैरा संख्या 12 में स्पष्ट उल्लेखित है कि एस.एल.एस.सी. ही योजना के प्रावधानों को रिव्यू कर सकती है। पैरा सं० 13(a) में उल्लेखित है कि वित्त विभाग पक्षकार को सुनवाई का मौका प्रदान करने के पश्चात स्वयं आदेश पारित करते हुए रिवाईज कर सकता है एवं 13(b) में स्पष्ट उल्लेखित है कि राज्य सरकार भी योजना में उपभोग किये गये लाभांश को पांच वर्षों पश्चात कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है एवं उपभोग किये गये लाभांश को भूतलक्षी प्रभाव से वापस नहीं ले सकती है। इस प्रकरण में दस्तावेज का पंजीयन 06.05.2010 को करवाया गया है तथा कलक्टर (मुद्रांक) ने आदेश दिनांक 26.05.2017 को पारित किया है जो 5 वर्ष की समयावधि के पश्चात् पारित किया गया है जो स्पष्ट तौर पर RIPS-2003 के पैरा सं. 13(बी) का उल्लंघन है। RIPS - 2003 योजना के तहत लाभ देने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत छानबीन समिति की सूची योजना के बिन्दु संख्या 6 में उल्लेखित की गई है, जो निम्नानुसार है :-

6. AUTHORITY TO GRANT BENEFITS UNDER THE SCHEME

The prescribed authority for determining the eligibility, **except 29 for exemption from stamp duty and/or conversion charges**, under this Scheme shall be the following Screening Committees, whose decisions, subject to other provisions of the Scheme, shall be final :

S.N.	Investment amount	Prescribed Authority	Status
1.	Investment above Rs. 7.00 crores	State Level Screening Committee (SLSC) consisting of the following	
		a) Pr. Secretary, Industries	Chairman
		b) Secretary, Finance (Rev.) or his representative not below the rank of Deputy Secretary	Member
		c) Commissioner, Commercial Taxes or his representative not below the rank of Additional Commissioner.	Member
		d) CMD, RFC or his Representative, not below the rank of ED	Member
		e) MD, RIICO or his Representative, not below the rank of ED	Member
		f) Commissioner, Industries	member-Secretary
2.	Investment up to Rs. 7.00 Crores	District Level Screening Committee (DLSC) consisting of the following	
		a) District Collector	Chairman
		b) Concerned Branch Manager of RFC in the District	Member
		c) Concerned Senior Regional Manager/District	Member
		d) Deputy/Asstt. commissioner, Commercial Taxes/Commercial Taxes Officer (CTO)	Member
		e) General Manager DIC	Member-Secretary

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रार्थी को प्रदान किये गये मुद्रांक शुल्क में 50 प्रतिशत छूट से वंचित उक्त पैरा के क्रमांक 1 में वर्णित अधिकृत अधिकारीगण ही कर सकते हैं, ना कि कलक्टर मुद्रांक अपने स्तर पर राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी को

2/17

लगातार.....6

मुद्रांक शुल्क में 50 प्रतिशत प्रदान की गई छूट से वंचित कर सकते हैं क्योंकि RIPS-2003 के पैरा संख्या 12 व 13 के अनुसार सक्षम स्तर से ही देय छूट वापिस ली जा सकती है।

9. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय डी.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 3234/1998 Commissioner, Commercial Taxes, Rajasthan Jaipur Vs Rajasthan Taxation Tribunal Tax Up Date Vol. 38 part 4 page 131 निर्णय दिनांक 12.11.2013 में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :-

"Rajasthan Sales Tax Incentive Scheme for Industries, 1987 - The Commercial Taxes Department calculated the amount of incentive to be Rs. 5.37 lacs and the respondent unit continued to avail it every year. On the basis of request of the Deputy Commissioner (Administration), Udaipur vide letter dated 09th November, 1994 that the unit was not entitled for benefit of the Incentive Scheme, the DLSC vide order dated 07th February 1997 cancelled the sanction for Exemption Certificate granted to the respondent unit. Rajasthan Tax Board and Rajasthan Taxation Tribunal decided the case in favour of the dealer and held that there was no allegation of any fraud or misrepresentation or suppression of facts on the part of the unit and the quantum of exemption has been fully availed of under the EC much before proceeding were initiated for EC's cancellation. Rajasthan High Court at Jodhpur while dismissing the appeal of the department held that :- "In this view of the matter, the DLSC had no jurisdiction for reviewing and cancelling said Eligibility Certificate after a period of five years when the term had expired and the benefit had been availed by the respondent unit. We find ourselves in agreement with the analysis of the facts and ultimate conclusion recorded by the learned Rajasthan Tax Board and the Rajasthan Taxation Tribunal and no interference is called for."

इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय डी.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 3234/1998 Commissioner, Commercial Taxes, Rajasthan Jaipur Vs Rajasthan Taxation Tribunal Tax Up Date Vol. 38 part 4 page 131 निर्णय दिनांक 12.11.2013 में प्रतिपादित न्यायिक व्यवस्था के अवलोकन के पश्चात पाया गया कि कलक्टर मुद्रांक ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हुए प्रार्थी द्वारा उपभोग में ली गई छूट को भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। कलक्टर मुद्रांक को चाहिये था कि वे प्रकरण के समस्त तथ्यों से अवगत करवाते हुए प्रकरण RIPS 2003 के तहत लाभ स्वीकृत करने वाली अधिकृत छांगबीन रामिति, जो योजना के बिन्दु संख्या 6 में उल्लेखित है, को प्रेषित करते जो अपने स्तर पर निर्णय पारित करती।

10. विचाराधीन प्रकरण के तथ्य राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वार निगरानी सं 1619/2015/जोधपुर मै. कैरियर पाईन्ट इन्फ्रा लि. बनाम राजस्थान सरकार में पारित

निर्णय दिनांक 06.01.2017 के समान है जिसमें भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि RIPS - 2003 के अन्तर्गत मुद्रांक कर में छूट कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा वापिस नहीं ली जा सकती तथा इस हेतु RIPS - 2003 के तहत लाभ स्वीकृत करने वाली अधिकृत छानबीन समिति ही सक्षम है। हालांकि इस न्यायिक दृष्टांत में कलक्टर (मुद्रांक) को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि वे प्रकरण को अधिकृत छानबीन समिति के समक्ष प्रेषित करें परन्तु इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से यह कहीं स्पष्ट नहीं होता है कि प्रार्थी ने RIPS - 2003 के प्रावधानों का कहीं उल्लंघन किया है जिससे इस प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि RIPS - 2003 के प्रावधानों के उल्लंघन का कोई ठोस आधार या साक्ष्य नहीं है। फिर भी विभाग इस सम्बन्ध में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये RIPS - 2003 के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में जांच करने एवं तदनुसार अग्रिम विधिसम्मत कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर कलक्टर (मुद्रांक) का निगरानी अधीन आदेश दिनांक 26.05.2017 माननीय न्यायालयों द्वारा समय-समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं RIPS - 2003 के विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य होने के कारण अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.05.2017 अपास्त किया जाता है। प्रार्थी द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश के विरुद्ध माननीय कर बोर्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने हेतु बाध्यकारी रूप से जमा करवाई जाने वाली राशि को बाद सत्यापन लौटाये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। यदि प्रार्थी द्वारा RIPS - 2003 की शर्तों का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो विभाग प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिसम्मत कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।

12. निर्णय सुनाया गया।

nc&em
(नत्थूराम)
सदस्य